250

128

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल रीवा संभाग, रीवा (म.प्र.)

4
19.6.12

R-2014-I/12

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

1. मो0 अजीम पिता कदीर मोहम्मद उम्र–38 वर्ष,
2. अली मोहम्मद पिता स्व0 शाह मोहम्मद उम्र–56 वर्ष,
3. ईशा मोहम्मद पिता स्व0 शाह मोहम्मद उम्र–53 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम–बैढ़न, जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक 1682 ... द्वारा आज ... को प्राप्त 19-6-12

————आवेदकगण

बनाम

शेख मुनौवर पिता स्व0 शेख बलखन्डी उम्र–86 वर्ष, सा0 बैढ़न, जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

————अनावेदक

अधिवक्ता श्री ... सिंह द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि0 22/5/2012

22/5/12

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय बैढ़न, जिला–सिंगरौली (म0प्र0) के अपीलीय प्रकरण क्र. 63/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.04.12 बावत् निरस्त किये जाने आलोच्य आदेश निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

यह कि निगरानीधीन खसरा क्र. 621/1क रकवा 0.004 हे0 स्थित ग्राम–बैढ़न, तहसील–सिंगरौली की भूमि है, जिसके एक मात्र भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी आवेदक क्र. 2 व 3 थे। जिन्होंने दिनांक 22.05.08 को पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर प्रतिफल के एवज में आवेदक क्र. 1 के पास बिक्री कर कब्जा दखल सौप दिया था। जिससे अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील सिंगरौली के न्यायालय में नामान्तरण बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अनावेदक ने इस आशय की झूठी आपत्ति प्रस्तुत की कि उक्त भूमि पर वह मकान बनाकर कई वर्ष से आबाद है। इसी आशय का उसने व्यवहार न्यायालय बैढ़न में एक दावा प्रस्तुत कर आवेदक क्र. 1 के कब्जे में हस्तक्षेप न करने बावत् अन्तरिम आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जहां उक्त न्यायालय ने कब्जे के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक 04.09.08 को पारित कर दिया। लेकिन नामान्तरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.2014–I/12 जिला–सिंगरौली

मोह0 अजीम वगैरः/शेख मुनौवर

(1)	(2)	(3)
26.04.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	